दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प- भोपाल

पुनरीक्षण याचिका क्रमांक :--- R-1539-PBR/14

प्रस्तुति दिनांक:---

पुनरीक्षण कर्ता / आवेदिका:-- श्रीमति चिन्ताबाई पुत्री रामधन अग्रवाल

पत्नि मोतीलाल जी अग्रवाल कृषक निवासी ग्राम मुकराम

निवासी इतवारा बाजार टिमरनी तह०टिमरनी जिला

हरदा

विरूद्ध

श्री बी.एम. मिश्रा अभिभाषक द्वारा कैम्प भोपाल में प्रस्तुत 15/5/14

उत्तरवादीगण/ :-- §1§ रामकृष्ण आ० रामधन अग्रवाल मृत§

अनावेदकगण :-- जरिये वारसान :--

§1§ श्रीमति सुन्दरबाई पत्नि रामकृष्ण अग्रवाल

§2§ अनिल आ० स्व० रामकृष्ण अग्रवाल

§3§ मोहन आ० रामकृष्ण अग्रवाल

§4§ राजेश आ० रामकृष्ण अग्रवाल

19-5-14

सभी निवासी ०००००००००००००००वार्ड हरदा तह०

हरदा जिला हरदा

2- ओमप्रकाश आ० रामधन अग्रवाल

निवासी 48 त्रिलपतिनगर एयर फोर्ट रोड इंदौर §म०प्र०§

3- श्रीमति मल्लाबाई पत्नि शालिगरामजी अग्रवाल नि० §

मृत§ जरिये वारसान

§अ§ शालिगराम आ० मुकुन्दराम अग्रवाल

§ब§ आलोक आ० शालिगराम अग्रवाल

§स§ अनुभव आ० शालिग राम अग्रवाल

निवासी छत्रपति शिवाजी वार्ड हरदा §म०प्र०§

4- श्रीमति मनोरमा बाई पुत्री रामधन अग्रवाल पत्नि ओमप्रकाशजी अग्रवाल सराफ निवासी सराफा चौक भोपाल जिला भोपाल

5- श्रीमति मुन्नीबाई उर्फ स्नेहलताबाई पुत्री रामधन अग्रवाल पत्नि विनोद कुमार अग्रवाल निवासी सी/54 एम० आई० जी० आनंदनगर खंडवा जिला खंडवा (म०प्र०)

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म० प्र० भू० रा० सं.

....

उपरोक्त पुनरीक्षण कर्ता/ आवेदिका न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय द्वारा प्रकरण रा० प्र०क्र० 27 अ/ 2012-13 मे पारित आदेश दिनांक 8-5-14 से व्यथित क्षुब्ध होकर निम्न तथ्यो एंव आधारो पर प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुतकी जा रही है।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 1539–पीबीआर / 14 [चिंताबाई / रामकृष्ण] जिला – हरदा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11.6.2014	आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 8.5.2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि पूर्व में दिनांक 28.4.2014 को तहसीलदार द्वारा स्वत्व सम्बन्धी निराकरण के लिये समय नहीं दिया गया था एवं प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया था, परंतु दिनांक 8.5.2014 अनावेदकगण के आवेदन पत्र पर स्वत्व के निराकरण हेतु 90 दिवस के लिये कार्यवाही स्थगित करने में अवैधानिकता की गई है । उनके द्वारा निगरानी ग्राह्य किये जाने का अनुरोध किया गया । मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 178 में स्वत्व का प्रश्न उठाये जाने पर 90 दिवस के लिये कार्यवाही स्थगित किये जाने का प्रावधान है । अतः तहसीलदार द्वारा स्वत्व का प्रश्न उठाये जाने पर 90 दिवस के लिये कार्यवाही स्थगित करने में प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । इस सम्बन्ध में आवेदिका के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि पूर्व में तहसीलदार द्वारा स्वत्व के निराकरण के लिये समय नहीं दिया गया था, परंतु बाद में 90 दिवस के लिये कार्यवाही स्थगित करने में अवैधानिकता की गई है, क्योंकि यदि पूर्व में तहसीलदार द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरीत कोई कार्यवाही कर दी गई है, तो बाद में विधि के प्रावधानों के अनुरूप की	

गई कार्यवाही को त्रुटिपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता है ।

2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष